संख्या–2257 / 9–आ–4– / 2002–417–एन / 2002

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–4 लखनऊः दिनाँक–17 अक्टूबर, 2002

विषय : पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड हेतु आंकलित धनराशि का डिमाण्ड नोट जारी होने के 90 दिन के अन्दर धनराशि जमा करने पर 20 प्रतिशत छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर, 1994 के प्रस्तर–1(क) में सर्वप्रथम यह व्यवस्था की गयी थी कि ऐसे आवेदक जो शासनादेश जारी होने की तिथि से 3 माह के भीतर फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हें फ्रीहोल्ड हेतु आंकलित धनराशि का मांगपत्र जारी होने के 90 दिन के अन्दर एकमुश्त जमा करने पर आंकलित धनराशि के 20 प्रतिशत की धनराशि की छूट दी जायेगी। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि यद्यपि फ्रीहोल्ड आवेदकों को उक्त 20 प्रतिशत की छूट समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा अनुमन्य की जाती रही है और वर्तमान फ्रीहोल्ड नीति के अन्तर्गत भी शासनादेश दिनांक 15.2.1999 के माध्यम से उक्त 20 प्रतिशत की छूट नियमानुसार प्रदान किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं तथा शासनादेश दिनांक 20 जनवरी, 2004 के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अनाधिकृत अध्यासियों के विनिमितीकरण / फ्रीहोल्ड के प्रकरणों में 20 प्रतिशत की छूट दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

2. परन्तु प्रश्नगत छूट दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर, 1994 द्वारा 3 माह की जो समय सीमा निर्दिष्ट की गयी है तथा फ्रीहोल्ड मार्गदर्शिका के पृष्ठ–14 पर क्रमांक–4 की जिज्ञासा–समाधान में इस आशय का उल्लेख है कि यह व्यवस्था दिनांक–31 जनवरी, 1999 तक आवेदकर्ताओं को प्राप्त होगी, से उत्पन्न भ्रामक स्थिति के सन्दर्भ में कतिपय जनपदों द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश की अपेक्षा की गयी है। अतः एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान फ्रीहोल्ड नीति के अन्तर्गत डिमाण्ड नोट निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के फ्रीहोल्ड के लिए आंकलित सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर 20 प्रतिशत छूट अनुमन्य है और फ्रीहोल्ड के प्रकरणों में यह सुविधा दी जाती रहेगी, जब तक इसे अग्रेतर आदेशों द्वारा समाप्त न कर दिया जाय। अतः शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर, 1994 तथा फ्रीहोल्ड

मार्गदर्शिका के पृष्ठ–14 क्रमांक–4 के जिज्ञासा–समाधान में प्रश्नगत छूट के निमित्त निर्दिष्ट की गयी समय सीमा को निरस्त समझा जाये।

भवदीय,

जे0एस0 मिश्र

सचिव।